

न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चमोली।

संख्या : 10 वर्ष 2025

दिनांक : 18.07.2025

संशोधित आदेश

जिला चमोली के मुख्यालय गोपेश्वर में स्थित न्यायालयों एवं बाह्य न्यायालयों के न्यायिक मजिस्ट्रेटों की माह जुलाई, 2025 एवं माह अगस्त, 2025 में सार्वजनिक अवकाश के दिनों में अभियुक्त की रिमाण्ड के सन्दर्भ में पारित आदेश संख्या 09/2025 दिनांकित 17.07.2025 में क्षेत्र कर्णप्रयाग में आंशिक रूप से संशोधित करते हुए रिमाण्ड ड्यूटी की व्यवस्था की जाती है-

(क्षेत्र)

कोतवाली कर्णप्रयाग, तहसील कर्णप्रयाग से सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र, थाना गैरसैण, तहसील गैरसैण से सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र व तहसील आदिब्रदी से सम्बन्धित राजस्व क्षेत्र।

माह	रिमाण्ड ड्यूटी मजिस्ट्रेट
माह जुलाई, 2025	अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कर्णप्रयाग।
माह अगस्त, 2025	सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कर्णप्रयाग।

2. शेष आदेश यथावत रहेगा।

(सचिन कुमार पाठक)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।

पत्रांक : 10 /2025, गोपेश्वर : दिनांक : जुलाई 19, 2025

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ प्रेषित-

- 1- माननीय जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चमोली को अवलोकनार्थ एवं सूचनार्थ सादर प्रेषित।
- 2- जिला मजिस्ट्रेट, चमोली।
- 3- पुलिस अधीक्षक, चमोली।
- 4- सिविल जज (सी0डि0)/अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, कर्णप्रयाग।
- 5- सिविल जज (जू0डि0)/न्यायिक मजिस्ट्रेट, कर्णप्रयाग।
- 6- सचिव, जिला बार संघ, कर्णप्रयाग/गैरसैण।
- 7- ज्येष्ठ अभियोजन अधिकारी, चमोली।
- 8- सिस्टम आफिसर, जिला न्यायालय, चमोली।
- 9- गार्ड फाईल।

(सचिन कुमार पाठक)
मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
चमोली।